

मर्चेट शर्तें और शर्तें

यह दस्तावेज़ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसके तहत लागू नियमों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित विभिन्न कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित संशोधित प्रावधानों के संदर्भ में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक कंप्यूटर प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है, इसके लिए किसी भौतिक या डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।

इन मर्चेट नियमों और शर्तों ("शर्तों") को चेकबॉक्स सहमति तंत्र, या स्वीकृति के किसी अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से प्रभावी बनाया जाएगा, जिसे ट्रांसकॉर्प द्वारा सुगम बनाया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, इन्हें ईमेल पत्राचार और स्वीकृति पर प्रभावी बनाया जा सकता है या ऑनबोर्डिंग दस्तावेजों के हिस्से के रूप में या केवल व्यापारी के भौतिक हस्ताक्षर प्राप्त करके स्वीकार किया जा सकता है।

ट्रान्सकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं। 3, एचएएफ पॉकेट, सेक्टर 18ए, द्वारका, फेज-II, नई दिल्ली-110075 (इसके बाद "ट्रांसकॉर्प"/"हम" के रूप में संदर्भित, जो अभिव्यक्ति, जब तक कि उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, एक भाग के अपने उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइन को शामिल करेगी)।

और आप, इसके द्वारा आवेदन और ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आपके द्वारा साझा किए गए विवरणों के साथ "व्यापारी"/"आप" के रूप में संदर्भित हैं।

"ट्रान्सकॉर्प" और "मर्चेट" को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाता है और सामूहिक रूप से "पार्टियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है जैसा कि संदर्भ में आवश्यक हो सकता है। जब तक यह इसके संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, तब तक प्रत्येक पक्ष को अपने उत्तराधिकारियों/उत्तराधिकारियों के हित में और अनुमत नियुक्तियों का अर्थ, अर्थ और समावेश माना जाएगा।

जहां: 1. ट्रांसकॉर्प अन्य बातों के साथ-साथ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट्स (पीपीआई) और प्रोपराइटी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भुगतान प्रौद्योगिकी समाधान की पेशकश करने में लगा हुआ है और उपयोगकर्ताओं के पास क्यू आर के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प है और वॉलेट और ट्रांसकॉर्प मर्चेट (ऑ) के पास वस्तुओं और सेवाओं, वित्तीय सेवाओं की बिक्री के खिलाफ ट्रांसकॉर्प के पीपीआई को स्वीकार करने का विकल्प है।

2. व्यापारी ट्रांसकॉर्प सेवाओं का लाभ उठाने का इच्छुक है (as defined)

3. पार्टियां अब उन नियमों और शर्तों को दर्ज करने के लिए इन शर्तों में प्रवेश कर रही हैं जिनके तहत मर्चेट ने विचार के लिए ट्रांसकॉर्प सेवाओं का लाभ उठाने पर सहमति व्यक्त की है और ट्रांसकॉर्प ने इन शर्तों की अवधि के दौरान ट्रांसकॉर्प सेवाएं प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब, इन शर्तों के गवाह हैं और इसके तहत पार्टियों द्वारा और उनके बीच सहमति व्यक्त की गई है:

1. परिभाषाएँ

इन शर्तों के अन्य खंडों में परिभाषित शब्दों के अलावा निम्नलिखित शब्दों/अभिव्यक्तियों के अर्थ नीचे दिए गए हैं:

1. "संबद्ध" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है या उसके साथ सामान्य नियंत्रण में है। इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था के संबंध में उपयोग किए जाने पर

"नियंत्रण" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या संस्था के प्रबंधन और नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतदान प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से, अनुबंध द्वारा या अन्यथा निर्देशित करने की शक्ति; और "नियंत्रण" और "नियंत्रित" शब्दों का पूर्वगामी से सहसंबंध है।

2. "चार्जबैक" का अर्थ होगा निर्दिष्ट ट्रांसकॉर्प खाते में मर्चेट की निपटान राशि से उपयोगकर्ता की शिकायत पर किसी भी अनुमोदित और निपटाये गए लेनदेन को वापस करना। इसमें ट्रांसकॉर्प के बैंक खाते (खातों) में डेबिट के कारण व्यापारी के लिए देय शुल्क (बैंक शुल्क, जुर्माना और अन्य आनुषंगिक शुल्क) भी शामिल होंगे, जो किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या एनपीसीआई द्वारा लेनदेन उलटने के संबंध में किसी भी कारण से काटे जा सकते हैं।

3. "गोपनीय जानकारी" का अर्थ है किसी पार्टी या उसके सहयोगियों, एजेंटों या ठेकेदारों (सामूहिक रूप से, "खुलासा करने वाली पार्टी") द्वारा दूसरी पार्टी, उसके सहयोगियों या उनमें से किसी के किसी भी एजेंट (सामूहिक रूप से, "प्राप्तकर्ता पार्टी") को गोपनीय के रूप में नामित की गई सभी गैर-सार्वजनिक जानकारी या जानकारी की प्रकृति या इसके प्रकटीकरण के आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए, यथोचित रूप से गोपनीय माना जाना चाहिए। गोपनीय जानकारी में शामिल हैं (i) खुलासा करने वाली पार्टी की तकनीक, उपयोगकर्ता, व्यावसायिक योजनाएं, व्यापार और संचालन प्रक्रियाओं, व्यापार रहस्य, प्रचार और विपणन गतिविधियों, वित्त और अन्य व्यावसायिक मामलों से संबंधित गैर-सार्वजनिक जानकारी, (ii) तीसरे पक्ष की जानकारी जिसे खुलासा करने वाली पार्टी गोपनीय रखने के लिए बाध्य है, (iii) पार्टियों के बीच किसी भी चर्चा या वार्ता की प्रकृति, सामग्री और अस्तित्व, ये शर्तें और (iv) बैंक खाते की जानकारी।

4. "नामित ट्रांसकॉर्प खाता" का अर्थ होगा ट्रांसकॉर्प का एक निर्दिष्ट खाता जो बैंक (ओं) के साथ रखा जाता है (एस्करो खाते सहित संबंधित नियामक निकाय (आईईएस) के लागू परिपत्रों/विनियमों के अनुसार) जिसमें उपयोगकर्ता भुगतान (ओं) उत्पाद (ओं)/सेवाओं (ओं) की खरीद/लाभ के खिलाफ एकत्र किया जाता है और जिसमें से निपटान राशि (ओं) इन शर्तों की शर्तों के अनुसार मर्चेट को प्रेषित की जाती है।

5. "उत्पाद"/"सेवाएं" का अर्थ होगा व्यापारी द्वारा उपयोगकर्ताओं को बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तुएं और/या सेवाएं।

6. "निपटान राशि" का अर्थ होगा उत्पादों/सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता का भुगतान, जिसमें ट्रांसकॉर्प सेवा शुल्क और अन्य बकाया राशि शामिल है, जिसमें मर्चेट से ट्रांसकॉर्प को देय चार्जबैक (शुल्क) या कोई अन्य शुल्क, यदि कोई हो, शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। (if any of the above are applicable).

7. "स्टोर" का अर्थ होगा उत्पादों की बिक्री के लिए व्यापारी का भौतिक खुदरा आउटलेट, दुकान या डिजिटल स्टोर/ऑनलाइन वेबसाइट/एम-साइट/मोबाइल एप्लिकेशन जिसमें उपयोगकर्ताओं को सेवाएं शामिल हैं, जहां लागू हो।

8. "शर्तों" का अर्थ इन शर्तों, यहां की सभी अनुसूचियों और पार्टियों द्वारा समय-समय पर सहमति के अनुसार किए गए किसी भी संशोधन को शामिल करना होगा।

9. इन शर्तों के उद्देश्य के लिए "लेन-देन एसएमएस" का अर्थ होगा वह एसएमएस (एस) जो ट्रांसकॉर्प द्वारा तीसरे पक्ष (आईईएस) के माध्यम से मर्चेट के पंजीकृत मोबाइल नंबर और/या किसी अन्य पंजीकृत अधिसूचनाकर्ता मोबाइल नंबर पर मर्चेट द्वारा ट्रांसकॉर्प सेवाओं के उपयोग के दौरान लेनदेन (ओं) के संबंध में भेजा जाना है।

10. "ट्रांसकॉर्प मर्चेट" का अर्थ होगा एक व्यापारी, जिसके लिए ट्रांसकॉर्प सेवाएं इस तरह से प्रदान की जाती हैं कि एक उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान की गई निपटान राशि को नामित ट्रांसकॉर्प खाते में भेजा/एकत्र किया जाएगा और इन शर्तों के प्रावधानों के अनुसार संभाला जाएगा।

11. "ट्रान्सकॉर्प सर्विस" का अर्थ होगा और इसमें वॉलेट से जुड़े क्यू. आर. कोड और अन्य सेवाओं जैसे कि समर्पित मर्चेन्ट डैशबोर्ड, लेन-देन संबंधी एस. एम. एस., सुलह विवरण के माध्यम से बिक्री केंद्र भुगतान को सक्षम/सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान शामिल होगा।
12. "ट्रान्सकॉर्प सेवा शुल्क" का अर्थ ट्रान्सकॉर्प सेवाएँ (लेन-देन एसएमएस के संबंध को छोड़कर) प्रदान करने के लिए मर्चेन्ट द्वारा ट्रान्सकॉर्प या उसके भागीदार को देय सदस्यता, आवेदन शुल्क, शुल्क या शुल्क होगा, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है।
13. "उपयोगकर्ता" उस व्यक्ति (व्यक्तियों) को संदर्भित करेगा जो ट्रान्सकॉर्प के साथ पंजीकृत है और व्यापारी के साथ लेनदेन के संबंध में भुगतान मोड का उपयोग करके ट्रान्सकॉर्प सेवा का लाभ उठा रहा है और/या जो ट्रान्सकॉर्प द्वारा सक्षम भुगतान तकनीक का लाभ प्राप्त कर रहा है। उपयोगकर्ता की जानकारी पूरी तरह से ट्रान्सकॉर्प के स्वामित्व में होगी।
14. "उपयोगकर्ता भुगतान" का अर्थ होगा व्यापारी से खरीदे गए सामान या सेवाओं के लिए, जैसा भी मामला हो, उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान की गई कुल राशि।
15. "वॉलेट" का अर्थ होगा (i) ट्रान्सकॉर्प द्वारा जारी एक प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट ("पीपीआई") और/या (ii) किसी अन्य आरबीआई अधिकृत पीपीआई जारीकर्ता द्वारा जारी एक पूर्ण-केवाईसी पीपीआई (ओ), जो प्री-पेड इंस्ट्रुमेंट पर भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के लागू नियमों के अनुसार जारी किए जाते हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

II. प्रतिनियुक्ति और वारंटी

व्यापारी एतद्वारा प्रतिनिधित्व करता है, वारंट करता है और घोषित करता है कि: इसने इन शर्तों के निष्पादन, वितरण और समाप्ति को अधिकृत करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की है और ये शर्तें लागू कानून या विनियमन या संगठनात्मक दस्तावेजों या किसी समझौते, आदेश, निर्णय, निषेधाज्ञा, डिक्री या अन्य साधन के किसी भी प्रावधान का डिफ़ॉल्ट और/या उल्लंघन नहीं करती हैं जिसके द्वारा व्यापारी बाध्य है।

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम या किसी अन्य भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत व्यापारी के खिलाफ कोई न्यायिक या प्रशासनिक कार्रवाई, कार्यवाही, मुकदमेबाजी या जांच (नागरिक और/या आपराधिक) लंबित या खतरे में नहीं है।
3. इसके पास सभी लाइसेंस, परमिट हैं और इन शर्तों के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक भौतिक और प्रौद्योगिकी अवसंरचना, कौशल, ज्ञान और संसाधनों सहित लागू कानूनों के तहत आवश्यक आईटी मानकों का अनुपालन करता है।
4. जब मर्चेन्ट द्वारा डिजिटल या भौतिक रूप से निष्पादित और वितरित किया जाता है, तो ये शर्तें एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करेंगी, जो मर्चेन्ट के खिलाफ उसकी शर्तों के अनुसार लागू की जा सकती हैं।
5. मर्चेन्ट ट्रान्सकॉर्प सेवाओं के प्रावधान और उपयोग के संबंध में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझता है।
6. मर्चेन्ट इसके द्वारा प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि, इन शर्तों की प्रभावी तिथि के अनुसार और इन शर्तों की अवधि के दौरान, मर्चेन्ट की वार्षिक आय ₹ 20,00,000 से अधिक नहीं है। (Indian Rupees Twenty Lakhs).

III. योग्यता

ट्रान्सकॉर्प सेवा तक पहुँचकर, आप दर्शाते हैं कि: -

1. आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।
2. आप एक अनुबंध/कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करने में सक्षम हैं।
3. आपको भारत के कानूनों के तहत ट्रान्सकॉर्प की सेवाओं तक पहुंचने या उनका उपयोग करने से प्रतिबंधित या अन्यथा कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
4. आप किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिरूपण नहीं कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति या संस्था के साथ अपनी उम्र या संबद्धता को गलत तरीके से नहीं बता रहे हैं। ट्रान्सकॉर्प उपरोक्त शर्तों के किसी भी गलत प्रतिनिधित्व के मामले में ट्रान्सकॉर्प सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
5. आपके द्वारा उल्लिखित अनिवार्य जानकारी और आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओं) "ओवीडी"/दस्तावेज़ विवरण सही और सही हैं और आपके हैं।
6. इस समझौते के तहत सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपको पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंजीकरण के हिस्से के रूप में, आपको हमें अपना (या अपने व्यवसाय का) कानूनी नाम, पता, स्थापना की तारीख, फोन नंबर, ई-मेल पता, पैन कार्ड की प्रति और या वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण विवरण और हमारे द्वारा समय-समय पर अनुरोध के अनुसार कोई अन्य संबंधित जानकारी/दस्तावेज़ प्रदान करना होगा। यदि आपके पास ऊपर वर्णित विवरण नहीं है, तो आप इसके लिए घोषणा करते हैं और तुरंत ट्रान्सकॉर्प को सूचित करते हैं जहां भी वह आपके लिए उपलब्ध है और उपरोक्त की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति जमा करते हैं।
7. इस समझौते के तहत सेवाओं का उपयोग करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए, आप प्रतिनिधित्व करते हैं और पुष्टि करते हैं कि आप (या आपके लाभकारी मालिक/नियंत्रित करने वाले व्यक्ति) राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति नहीं हैं और आरबीआई द्वारा जारी मास्टर निर्देश-अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश, 2016 के अनुसार विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यों को नहीं सौंपा गया है। यदि आप (या आपके लाभकारी मालिक/नियंत्रक व्यक्ति) ऐसे राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति हैं, तो कृपया सेवाओं के लिए पंजीकरण करने से पहले support.ppi@transcorpint.com पर हमसे संपर्क करें। यदि आप (या आपके लाभकारी मालिक/नियंत्रित व्यक्ति) पंजीकरण के बाद किसी भी समय राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति बन जाते हैं, तो कृपया हमें तुरंत support.ppi@transcorpint.com पर सूचित करें।

IV. मर्चेट के अनुबंध

सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रान्सकॉर्प के विचार में, व्यापारी इसके द्वारा निम्नानुसार आश्वासन देता है, कार्य करता है और सहमत होता है:

1. स्टोर के माध्यम से उपलब्ध उत्पादों और/या सेवाओं के वितरण से जुड़े किसी भी जोखिम के लिए ट्रान्सकॉर्प उत्तरदायी नहीं होगा। उत्पादों और/या सेवाओं की डिलीवरी में गुणवत्ता, व्यापार, गैर-वितरण और देरी के संबंध में किसी भी और सभी विवादों को सीधे विक्रेता और उपयोगकर्ता के बीच हल किया जाएगा और ट्रान्सकॉर्प को ऐसे किसी भी विवाद का पक्ष नहीं बनाया जाएगा। मर्चेट यह सुनिश्चित करने के लिए आगे वाचा करता है कि यह ट्रान्सकॉर्प को उपरोक्त विवादों के बढ़ने से बचने के लिए सद्भावना से सभी उपयोगकर्ता चिंताओं और विवादों को तेजी से हल करता है। इस खंड में निहित कुछ भी किसी भी तरह से क्लॉज VII (चार्जबैक और रिफंड) के तहत ट्रान्सकॉर्प के अधिकारों को प्रभावित नहीं

करेगा, अगर मर्चेट यहां निहित वाचाओं का पालन करने में विफल रहता है। व्यापारी (ए) उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार्य नहीं करेगा, (बी) नकली/नकली/निषिद्ध उत्पाद/सेवाएं बेचेगा।

2. इंटरनेट की अनुपलब्धता/मर्चेट और ट्रांसकॉर्प एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर के बीच कनेक्टिविटी सहित एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) या ट्रांसकॉर्प द्वारा सुविधा के अनुसार किसी भी अन्य भुगतान सेवाओं तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच में बाधा या रुकावट, डेटा की हानि के परिणामस्वरूप, बिना किसी सीमा के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ट्रांसकॉर्प मर्चेट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ट्रांसकॉर्प इस बात की गारंटी नहीं देता है कि ट्रांसकॉर्प सेवाएं और/या तीसरे पक्ष के भुगतान समाधान जैसे कि वॉलेट भुगतान और यूपीआई हमेशा निर्बाध या त्रुटियों से मुक्त रहेंगे और किसी भी हैक, वायरस या अन्य दुर्भावनापूर्ण, विनाशकारी या भ्रष्ट कोड, प्रोग्राम या मैक्रो के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होंगे, हालांकि ट्रांसकॉर्प अपनी सेवाओं को बाधा मुक्त बनाए रखने के प्रयास के रूप में लागू सूचना प्रौद्योगिकी मानदंडों और प्रथाओं की पुष्टि करता है और किसी भी ज्ञात रुकावट या डाउनटाइम के बारे में मर्चेट को सूचित करेगा।

3. व्यापारी सहमत है और पुष्टि करता है कि बेचे गए उत्पादों और स्टोर के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को, हर समय, व्यापारी या तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा विपणन/बेचे गए उत्पादों/सेवाओं के रूप में विपणन और/या वितरित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादों/सेवाओं को गलत तरीके से या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यापारी दुकान में आवश्यक अस्वीकरण जोड़ देगा। (including such disclaimers as Transcorp may require from time to time in this regard).

4. मर्चेट ट्रांसकॉर्प सेवाओं के उपयोग और ट्रांसकॉर्प सेवाओं के हिस्से के रूप में सक्षम भुगतान समाधानों के संबंध में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने के लिए ट्रांसकॉर्प को सभी उचित सहायता प्रदान करेगा और ट्रांसकॉर्प द्वारा आवश्यक ग्राहक शिकायतों/शिकायतों को हल करने में ट्रांसकॉर्प की सहायता करेगा।

5. मर्चेट अनुबंध और उपक्रम किसी भी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों के साथ ट्रांसकॉर्प को प्रदान करते हैं जो ट्रांसकॉर्प को इन शर्तों के कार्यकाल के दौरान चल रहे मर्चेट नो योर मर्चेट ("केवाईसी") अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों को पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। कोई भी गैर-अनुपालन या देरी ट्रांसकॉर्प को ट्रांसकॉर्प सेवाओं के उपयोग के लिए मर्चेट के पंजीकरण को निलंबित या समाप्त करने का अधिकार देगी। व्यापारी समय-समय पर ट्रांसकॉर्प द्वारा निर्धारित या ट्रांसकॉर्प के आवेदन पर प्रदर्शित प्रारूप में ट्रांसकॉर्प घोषणा (ओं) पर हस्ताक्षर करने और वितरित करने के लिए भी सहमत होता है।

6. व्यापारी अनुपालन सुनिश्चित करेगा और हर समय लागू कानूनों के अनुसार कार्य करेगा, जिसमें लागू आरबीआई परिपत्रों को सीमित किए बिना शामिल किया गया है और यह सुनिश्चित करेगा कि व्यापारी के व्यवसाय के कानूनी संचालन के लिए आवश्यक सभी लाइसेंस और पंजीकरण पूरी तरह से लागू और प्रभावी हैं।

7. व्यापारी डिजिटल भुगतान प्रणाली के संचालन के तरीके से अवगत है और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों, निर्देशों और सामान्य सार्वजनिक घोषणाओं का पालन करेगा जैसे कि यूपीआई पिन, एसएमएस, अज्ञात आईडी से लिंक साझा न करने और सुरक्षा विवरण के लिए पूछने वाली कॉल जैसी सुरक्षित रूप से भुगतान लेनदेन करने के लिए सामान्य जानकारी।

8. मर्चेट इसके तहत ट्रांसकॉर्प के अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, अनुपालन के मर्चेट उल्लंघन और गैर-अनुयायियों के लिए ट्रांसकॉर्प पर लगाए गए जुर्माने, दंड, शुल्क की राशि को तुरंत ठीक कर देगा।

9. व्यापारी केवल भारतीय रुपये में लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा।

10. आप समझते हैं और सहमत हैं कि ट्रांसकॉर्प लेनदेन की निगरानी कर सकता है और अपने आंतरिक जोखिम कार्यक्रम के आधार पर, ट्रांसकॉर्प किसी भी असामान्य व्यवहार, उच्च जोखिम वाले लेनदेन या किसी अन्य संबंधित मापदंडों की पहचान करने के मामले में आप पर अस्थायी या स्थायी कार्रवाई कर सकता है। आप ट्रांसकॉर्प को आपको पहले से सूचित किए बिना अपने खाते पर कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं और लागू कानूनों के तहत अनुमति के अनुसार नियामकों, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों और/या सरकारी एजेंसियों/विभागों को सूचित किए जाने वाले किसी भी समान मानदंड को योग्य बनाने वाले किसी भी संदिग्ध, असामान्य या लेनदेन की रिपोर्ट भी करते हैं।

11. जहां भी लागू हो, व्यापारी अपने स्टोर पर स्टोर के माध्यम से प्रदान किए जा रहे उत्पाद (ओं)/सेवाओं के नियम और शर्तों और उसी के संबंध में रिटर्न और रिफंड के प्रसंस्करण के लिए लागू समयसीमा को प्रकाशित करेगा।

12. जहां भी लागू हो, व्यापारी अपनी संगठनात्मक संरचना को इस तरह से डिजाइन करेगा कि वह भारत के कानूनों के तहत डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करे और यह सुनिश्चित करे कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम आधारभूत सुरक्षा नियंत्रणों का पालन किया जाए। ट्रांसकॉर्प द्वारा आवश्यक होने पर, निर्धारित समय सीमा के भीतर, व्यापारी किसी भी सुरक्षा घटना/डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग में ट्रांसकॉर्प की सहायता करेगा और इस संबंध में ट्रांसकॉर्प द्वारा निर्देशित निवारक कार्यों का पालन करेगा। ट्रांसकॉर्प के पास मर्चेट की सुरक्षा नीतियों की समीक्षा करने और सुरक्षा नियंत्रणों को सत्यापित करने के लिए समय-समय पर सुरक्षा परीक्षण करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

13. ट्रांसकॉर्प के पास मर्चेट के साथ अपने समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय और/या ऑनबोर्डिंग के समय विस्तृत केवाईसी और/या उचित परिश्रम करने का अधिकार होगा, साथ ही साथ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और अन्य नियामक उद्देश्यों के लिए मर्चेट के लेनदेन की निगरानी करने का अधिकार होगा। ट्रांसकॉर्प के पास इस संबंध में नियामकों या सरकारी अधिकारियों को किसी भी असामान्य या संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. यह एक स्वतंत्र इकाई है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट किसी भी प्रकार की भुगतान सेवाएं प्रदान नहीं करती है।

15. उत्पाद (ओं)/सेवाओं (ओं) को पूरा न करने के कारण उपयोगकर्ता को शुरू किए जाने वाले धनवापसी के मामले में, यह संबंधित उपयोगकर्ता को धनवापसी की शुरुआत के संबंध में ट्रांसकॉर्प को सूचित करेगा। ट्रांसकॉर्प को ऐसी जानकारी ऐसी समयसीमा के भीतर प्रदान की जाएगी जो इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

16. रिफंड के मामले में जो शुरू किया गया है यदि ऑर्डर सफल है, लेकिन उत्पाद (ओं)/सेवा (ओं) (जैसा लागू हो सकता है) उपयोगकर्ता द्वारा वापस कर दिया जाता है, तो यह ट्रांसकॉर्प को संबंधित उपयोगकर्ता को रिफंड की शुरुआत के संबंध में सूचित करेगा।

17. किसी विशेष लेन-देन से संबंधित धोखाधड़ी के संबंध में और/या मर्चेट द्वारा उत्पाद/सेवाओं को पूरा न करने से संबंधित शिकायत (ओं)/पूछताछ (आईईएस) के मामले में, यह पार्टियों के बीच सहमत समयसीमा के भीतर प्रतिक्रिया प्रदान करेगा (जब तक कि इस संबंध में समयसीमा आरबीआई/किसी अन्य नियामक निकाय द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है) उपयोगकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न के मामले में, व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि वह डी + 4 व्यावसायिक दिनों के भीतर ऐसे प्रश्नों का समाधान करता है (जिसमें 'डी' वह तिथि है जिस पर व्यापारी द्वारा शिकायत/पूछताछ प्राप्त की जाती है)

18. यह इस शर्तों के अनुसार ट्रांसकॉर्प से प्राप्त निपटान राशि (ओं) का मिलान करेगा और ऐसे उपयोगकर्ता (ओं) को धनवापसी प्रदान करेगा जिन्हें उत्पाद (ओं)/सेवा (ओं) को पूरा नहीं किया गया है।

V. परिवहन के लिए मर्चेट प्राधिकरण

1. मर्चेट एतद्वारा ट्रांसकोर्प नामित खाते में मर्चेट की ओर से संपूर्ण उपयोगकर्ता भुगतान एकत्र करने के लिए ट्रांसकोर्प को अधिकृत करता है।
2. क्यू. आर. कोड, वॉलेट के माध्यम से उपयोगकर्ता से इस प्रकार एकत्र किया गया धन ट्रांसकोर्प नामित खाते में या ऐसे भुगतानों के लिए नियामकों द्वारा निर्देशित धन के रूप में जमा किया जाएगा।
3. निपटान राशि के व्यापारी को भुगतान ट्रांसकोर्प नामित खाते से किया जाएगा और व्यापारी द्वारा ट्रांसकोर्प के साथ बनाए गए व्यापारी के बटुए में निपटाया जाएगा।

VI. परिवहन करार और बसावट संबंधी दायित्व

1. ट्रांसकोर्प यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार मर्चेट को ट्रांसकोर्प सेवाएं प्रदान करेगा।
2. ट्रांसकोर्प व्यापारी को देय होने पर निपटान राशि का भुगतान करने का प्रयास करेगा। इस खंड के तहत मर्चेट को देय निपटान राशि (ओं) का निपटान करने के लिए ट्रांसकोर्प के दायित्व इन शर्तों की समाप्ति से बचेंगे, सिवाय उन परिस्थितियों के जहां भुगतान में चूक, मर्चेट की धोखाधड़ी या मर्चेट द्वारा शर्तों के उल्लंघन के कारण ट्रांसकोर्प द्वारा समाप्ति शुरू की गई है।
3. इन शर्तों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, ट्रांसकोर्प द्वारा सीधे संचालित समाधानों को छोड़कर, ट्रांसकोर्प इस बात की गारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है: ए. यूपीआई, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे और कार्ड नेटवर्क निर्बाध रूप से प्रदान किए जाएंगे, या यह हमेशा त्रुटियों से मुक्त रहेगा क्योंकि यह इंटरनेट/कनेक्टिविटी और बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के डाउनटाइम पर निर्भर है; और बी. यूपीआई, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे और कार्ड नेटवर्क किसी भी वायरस या अन्य दुर्भावनापूर्ण, विनाशकारी या भ्रष्ट कोड, प्रोग्राम या मैक्रो के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है।
4. इस शर्तों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ट्रांसकोर्प के पास मर्चेट को देय निपटान राशि के पूरे या किसी भी हिस्से को रोकने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है, इस घटना में कि ट्रांसकोर्प, अपनी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, मर्चेट को किसी भी प्रकार के संदिग्ध, धोखाधड़ी या अवैध गतिविधियों में शामिल/शामिल होने का संदेह करता है या अन्य परिस्थितियों में जहां ट्रांसकोर्प को कानून प्रवर्तन एजेंसी, नियामक निकाय या लागू कानून के तहत आदेश का पालन करने के लिए निपटान राशि को रोकना पड़ता है। निपटान राशि को रोकने का ट्रांसकोर्प का अधिकार या तो बाहरी एजेंसी की जांच के अनुसार और मर्चेट के पक्ष में, या ट्रांसकोर्प के आंतरिक मानदंडों/नियमों/नीतियों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, घटना समाप्त होने तक होगा। ट्रांसकोर्प केवल ऐसी निपटान राशि या जहां भी संभव हो, निपटान राशि के ऐसे हिस्से को रोकने का प्रयास करेगा, जिसके लिए ऊपर दिए गए परिदृश्य लागू हैं।

VII. चार्जबैक और रिफंड

मर्चेट अपरिवर्तनीय रूप से किसी भी लेनदेन को वापस लेने के लिए सहमत है ('लेनदेन' का अर्थ होगा कि उपयोगकर्ता द्वारा मर्चेट को ट्रांसकोर्प सेवाओं के तहत किया गया भुगतान या मर्चेट से भुगतान की प्राप्ति) या निम्नलिखित परिस्थितियों में मर्चेट की वर्तमान या किसी भी भविष्य की निपटान राशि (ओं) से बिना किसी आपत्ति या विरोध के पूर्ण मर्चेट भुगतान की वापसी शुरू करना:

1. ऐसे लेन-देन जो किसी भी तरह से कपटपूर्ण, मिलीजुली, अवैध, गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए या अन्यथा अनियमित हों।

2. लेन-देन जिसके संबंध में व्यापारी को उपयोगकर्ता की शिकायत या समायोजन के लिए व्यापारी से अनुरोध का समाधान नहीं किया गया है, i.e. उत्पाद/सेवाओं के वितरण का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और उपयोगकर्ता समाधान के लिए मुद्दे को बढ़ाता है और मर्चेट ट्रांसकॉर्प या नियामक निकाय या न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा अधिसूचित उचित समय के भीतर संतोषजनक समाधान प्रदान करने में विफल रहता है;
3. यदि किसी लेन-देन के संबंध में, ट्रांसकॉर्प को किसी भी जारी करने वाली संस्था, एनपीसीआई या बैंक द्वारा उपयोगकर्ता को खरीद मूल्य/उपयोगकर्ता भुगतान की वापसी की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाता है, तो ट्रांसकॉर्प उसी के व्यापारी को सूचित करेगा।
4. किसी जारीकर्ता संस्था द्वारा उठाए गए चार्जबैक अनुरोध की अधिसूचना या ट्रांसकॉर्प के साथ उपयोगकर्ता द्वारा उठाए गए उपयोगकर्ता भुगतान की वापसी के अनुरोध पर, व्यापारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रासंगिक विवरण, वितरण का प्रमाण, अन्य डेटा और संबंधित लेनदेन के बारे में जानकारी जमा करने का अधिकार होगा। हालांकि, उपरोक्त के संबंध में, यदि धनवापसी या अस्वीकृति के अनुरोध से संबंधित कोई विवाद, किसी जारी करने वाली संस्था/बैंक द्वारा उपयोगकर्ता के पक्ष में तय किया जाता है या व्यापारी संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर धनवापसी के लिए उपयोगकर्ता/ग्राहक की मांग को चुनौती देने के लिए विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मर्चेट सहमत होता है कि ट्रांसकॉर्प अगले निपटान या भविष्य के किसी निपटान में मर्चेट को देय राशि से चार्जबैक की राशि या उपयोगकर्ता को तय की गई धनवापसी राशि में कटौती करने का हकदार होगा।
5. व्यापारी (ए) व्यवसाय के प्रकार के अनुसार एक उचित वापसी, रद्दीकरण या समायोजन नीति बनाए रखेगा; (बी) उत्पादों या सेवाओं की खरीद के समय उपयोगकर्ता (ओं) को अपनी वापसी या रद्दीकरण नीति का खुलासा करेगा। व्यापारी इस संबंध में उपयोगकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे या चिंता को हल करने में ट्रांसकॉर्प के साथ भी सहयोग करेगा और समाधान के लिए ट्रांसकॉर्प के पास जाएगा।
6. रिफंड/समायोजन की राशि में रिफंड किए जाने के लिए आवश्यक कोई भी संबंधित कर शामिल होना चाहिए और मूल बिक्री डेटा पर कुल के रूप में दिखाई गई राशि से अधिक नहीं हो सकता है। मर्चेट समझता है कि यदि रिफंड पॉलिसी रिटर्न को प्रतिबंधित करती है या व्यापारियों के लिए असंतोषजनक है, तो मर्चेट को विवादित लेनदेन से संबंधित चार्जबैक अभी भी प्राप्त हो सकता है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि रिफंड या चार्जबैक मामलों के मामले में मर्चेट का ट्रांसकॉर्प पर वॉलेट को अपने कैश बैक क्रेडिट के लिए कोई दावा नहीं होगा।

VIII. गोपनीयता

गोपनीय जानकारी की रक्षा की जाएगी, और पार्टियां इसे किसी भी दुरुपयोग, हानि, विनाश, परिवर्तन, संशोधन या हटाने से बचाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगी। इस धारा के किसी भी पक्ष द्वारा उल्लंघन या खतरे के उल्लंघन की स्थिति में, किसी भी गोपनीय जानकारी/सामग्री के अनधिकृत प्रकटीकरण के लिए मौद्रिक नुकसान कोई पर्याप्त उपाय नहीं हो सकता है; इसलिए, दूसरा पक्ष, किसी अन्य अधिकार या उपचार को माफ किए बिना, निषेधाज्ञा राहत या न्यायसंगत राहत का हकदार होगा जैसा कि उचित समझा जा सकता है।

IX. डेटा गोपनीयता और सूचना सुरक्षा

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को वचन देता है, करार करता है और वारंट करता है कि: यह गोपनीय सूचना की सुरक्षा, गोपनीयता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रशासनिक, भौतिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों को इस तरह से सुनिश्चित करेगा कि यह साइबर हमलों और/या किसी अन्य सिस्टम हैक के प्रति संवेदनशील न हो।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे कि यह और इसके कर्मचारी भारत में लागू कानूनों में निहित प्रावधानों और दायित्वों का पालन करते हैं, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी) नियम, 2011 और समय-समय पर संशोधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और समय-समय पर संशोधित ट्रांसकोर्प की गोपनीयता नीति (वेबसाइट पर उपलब्ध) शामिल हैं।

3. प्रत्येक पक्ष नियमित आधार पर गोपनीय जानकारी के संबंध में सुरक्षा प्रथाओं, नियंत्रण प्रक्रियाओं और जांच की निगरानी करेगा और बिना किसी देरी के किसी भी उल्लंघन का खुलासा करेगा, दूसरे पक्ष को लिखित रूप में और किसी भी मामले में ऐसी सुरक्षा प्रथाओं, नियंत्रण प्रक्रियाओं और जांच में इस तरह के उल्लंघन की घटना के 24 घंटे के भीतर।

X. एंटी-कॉरप्शन और एंटी-ब्रीबरी

मर्चेट इस बात से सहमत है कि इन शर्तों के तहत उसका प्रदर्शन सभी लागू भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में होगा। तदनुसार, मर्चेट इस बात से सहमत है कि इन शर्तों के तहत अपनी गतिविधियों के संबंध में, न तो मर्चेट और न ही कोई एजेंट, संबद्ध, कर्मचारी, या उसकी ओर से काम करने वाला अन्य व्यक्ति किसी भी सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दल, या सार्वजनिक पद के उम्मीदवार को किसी भी रिश्वत, छूट, भुगतान, प्रभाव भुगतान, सुविधा भुगतान, रिश्वत, या अन्य गैरकानूनी भुगतान की पेशकश, वादा, देने या अधिकृत करने के लिए, किसी भी सरकारी अधिकारी के किसी भी कार्य या निर्णय को प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए, कोई अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए, या किसी सरकारी अधिकारी के किसी भी कार्य या निर्णय को प्रभावित करने के लिए।

XI. स्वतंत्रता

मर्चेट इसके द्वारा हर समय क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है और सभी कार्यों, कार्यवाही, दावों, देनदारियों (वैधानिक दायित्व सहित) दंड, मांगों और लागतों, पुरस्कारों, हर्जाने, नुकसान और/या खर्चों के खिलाफ और इसके खिलाफ हानिरहित रखता है, हालांकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप: 1. मर्चेट द्वारा या मर्चेट के किसी भी उपक्रम, वारंटी, घोषणाओं या दायित्वों के तहत मर्चेट द्वारा मर्चेट वाचाओं का कोई उल्लंघन या गैर-प्रदर्शन; या 2. मर्चेट द्वारा प्रदान की गई किसी भी सामान/सेवाओं के संबंध में उपयोगकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रांसकोर्प के खिलाफ कोई दावा या कार्यवाही; या 3. मर्चेट के एजेंटों, कर्मचारियों, लाइसेंसधारियों या उपयोगकर्ताओं की कोई कार्रवाई, उपेक्षा या चूक; या 4. ट्रांसकोर्प के खिलाफ किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई दावा, उपखंड (1 या 3) से उत्पन्न होता है।

5. मर्चेट किसी तीसरे पक्ष के दावे से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, लागत, खर्च, मांगों या दायित्व, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कि मर्चेट की सेवाएं उस तीसरे पक्ष के किसी भी बौद्धिक या औद्योगिक संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, के खिलाफ भी पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित होगा।

इन शर्तों के प्रावधानों के अनुसार ट्रांसकोर्प के क्षतिपूर्ति का हकदार होने की स्थिति में, ट्रांसकोर्प तदनुसार और इस हद तक मर्चेट को देय भुगतान से डेबिट करने का हकदार होगा।

XII. लेन-देन सीमाएँ

1. यदि ट्रांसकोर्प स्टोर से उत्पन्न होने वाले लेनदेन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादित लेनदेन, चार्जबैक और एस्केलेशन की महत्वपूर्ण मात्रा को देखता है तो ट्रांसकोर्प सेवाओं के किसी भी हिस्से या पूरे तक पहुंच को अक्षम, निलंबित या स्थायी रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

2. ट्रांसकॉर्प, किसी भी समय अवधि के दौरान उपयोगकर्ता द्वारा की जाने वाली खरीद की संख्या और/या खरीद के मूल्य पर सीमाएं लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और मर्चेट को उचित सूचना और जानकारी के साथ ऐसी सीमा से अधिक भुगतान के संबंध में भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. ट्रांसकॉर्प, उपयोगकर्ताओं के संबंध में भुगतान न करने के पूर्व इतिहास, संदिग्ध शुल्क और ट्रांसकॉर्प द्वारा उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई समान सेवाओं से उत्पन्न किसी भी मुकदमेबाजी के साथ भुगतान करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ट्रांसकॉर्प तदनुसार मर्चेट को सूचित करेगा।

XIII. समाप्ति

1. ये शर्तें उस तारीख से प्रभावी हो जाएंगी जिस दिन आप इन शर्तों के लिए सहमत/निष्पादित होते हैं और पूरी तरह से लागू रहेंगे जब तक कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को नीचे दिए गए तरीके से समाप्ति की लिखित सूचना नहीं देता है।

2. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को साठ (60) दिनों की पूर्व लिखित सूचना प्रदान करके बिना कोई कारण बताए इन शर्तों को समाप्त कर सकता है।

3. यहां कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि कोई भी पक्ष इन शर्तों के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और गैर-चूक करने वाले पक्ष द्वारा सूचित किए जाने के तीस (30) दिनों के भीतर इस तरह के उल्लंघन का इलाज करने में विफल रहता है, तो गैर-चूक करने वाले पक्ष को अधिकार होगा इन शर्तों को तुरंत समाप्त करें। बशर्ते कि यदि ट्रांसकॉर्प के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि मर्चेट ने या तो ट्रांसकॉर्प के कारण शुल्क और/या अन्य शुल्कों/राशियों के भुगतान में चूक के कारण इन शर्तों की शर्तों का उल्लंघन किया है और/या अनुसूची 1 में बताए गए किसी भी निषिद्ध मर्चेट होने या भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के उल्लंघन के कारण शर्तों का उल्लंघन किया है, तो उसे कोई पूर्व लिखित सूचना दिए बिना इन शर्तों को तुरंत समाप्त करने का अधिकार होगा। मर्चेट द्वारा डिफॉल्ट या भुगतान में देरी के कारण ट्रांसकॉर्प द्वारा समाप्त होने पर, ट्रांसकॉर्प मर्चेट को चालान करके या शर्तों में निर्धारित विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू करके सभी बकाया राशि की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

4. ट्रांसकॉर्प इन शर्तों को समाप्त कर सकता है यदि व्यापारी का नाम समय-समय पर वित्तीय संस्थानों और सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी मंजूरी सूची या नकारात्मक सूची में दिखाई देता है।

XIV. बल मेजर

इन शर्तों के प्रावधानों के बावजूद, कोई भी पक्ष गैर-निष्पादित पार्टी के खिलाफ चूक के लिए परिसमापन हर्जाने या समाप्ति के लिए पात्र नहीं होगा, अगर और इस हद तक कि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देरी या अन्य विफलता का परिणाम है।

इस खंड के प्रयोजन के लिए, "आकस्मिक बल" का अर्थ होगा, पार्टियों के संबंध में, उस पार्टी के उचित नियंत्रण से परे कोई भी परिस्थिति, जिसमें पूर्वगामी की व्यापकता पर पूर्वाग्रह के बिना, ईश्वर का कोई कार्य, युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल, दुर्घटना, महामारी, आग, दंगा, बंद या हड़ताल शामिल है।

XV. सामान्य प्रावधान

1. सरकारी कानून और न्यायपालिका-इन शर्तों को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा और दोनों पक्ष इन शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों को हल करने के लिए नई दिल्ली की अदालतों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत होंगे।

2. नोटिस-इन शर्तों द्वारा विचार किए गए मामलों के तहत या उनके संबंध में दी गई या की गई कोई भी सूचना, अनुरोध, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और व्यक्तिगत रूप से या रिकॉर्ड पर संपर्क विवरण और पते पर ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

3. विज्ञापनदाता को इन शर्तों के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, इसमें निहित कुछ भी ट्रांसकोर्प को इन शर्तों के तहत अपने सहयोगियों, सहयोगियों या समूह कंपनियों को अपने अधिकारों और दायित्वों को सौंपने से प्रतिबंधित नहीं करेगा।

4. मॉडिफिकेशन-ट्रांसकोर्प के पास ईमेल/एसएमएस/पुश अधिसूचना के माध्यम से या ट्रांसकोर्प के समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से मर्चेट को इस तरह के परिवर्तन की सूचना देकर अनुसूची सहित इन शर्तों की किसी भी शर्त में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है और अधिसूचना की तारीख से कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। सभी संशोधित शर्तें मर्चेट को ट्रांसकोर्प द्वारा प्रदान किए गए समर्पित मर्चेट डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि, शर्तों में मर्चेट द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन ट्रांसकोर्प पर तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगे जब परिवर्तनों को ट्रांसकोर्प द्वारा लिखित रूप में सहमति और सहमति दी गई हो।

5. संबंध-इन शर्तों के लिए पार्टियों के बीच संबंध प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर होंगे और इन शर्तों में कुछ भी दोनों पक्षों के बीच एजेंसी, एसोसिएशन, साझेदारी या संयुक्त उद्यम या नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के किसी भी संबंध को इंगित या बनाने के लिए नहीं माना जाएगा।

6. पूरा समझौता-ये शर्तें सभी अनुलग्नकों, अनुसूचियों और संलग्नकों के साथ मिलकर इन शर्तों के विषय के संबंध में पार्टियों के बीच पूरे समझौते और समझ का गठन करेंगी और किसी भी पूर्व समझौते या समझ, लिखित या मौखिक, को हटा देंगी।

7. सर्वाइवल-इन शर्तों के तहत कोई भी और सभी दायित्व, जो अपने स्वभाव से इन शर्तों की समाप्ति या समाप्ति से यथोचित रूप से जीवित रहना चाहिए, इसलिए जीवित रहेंगे।

8. यदि इन शर्तों का कोई प्रावधान या उनका आवेदन किसी भी हद तक अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो इन शर्तों के शेष और ऐसे प्रावधान का आवेदन प्रभावित नहीं होगा, और इन शर्तों का प्रत्येक प्रावधान वैध होगा और कानून द्वारा अनुमत पूरी सीमा तक लागू करने योग्य होगा। इन शर्तों के किसी भी अमान्य या अप्रवर्तनीय प्रावधान को एक प्रावधान के साथ बदल दिया जाएगा, जो वैध और प्रवर्तनीय है और अप्रवर्तनीय प्रावधान के मूल इरादे को दर्शाता है। प्रत्येक पक्ष, ऐसी किसी भी घटना में, ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करेगा जैसा कि दूसरा पक्ष उचित रूप से अनुरोध कर सकता है ताकि इसके किसी भी प्रावधान को वैध, कानूनी और लागू करने योग्य प्रभाव दिया जा सके जो अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय होने के लिए निर्धारित है।

9. Google के पास अपने विवेकाधिकार पर आपको बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के किसी भी समय इन शर्तों के कुछ हिस्सों को बदलने, संशोधित करने, जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित है। अद्यतन/परिवर्तनों के लिए समय-समय पर इन शर्तों की समीक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। परिवर्तनों की पोस्टिंग के बाद ट्रांसकोर्प के आपके निरंतर उपयोग का मतलब होगा कि आप इन शर्तों, संशोधनों आदि के तहत अतिरिक्त शर्तों या भागों को हटाने सहित संशोधनों को स्वीकार और सहमत हैं। यह भी सहमति है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई अधिसूचना/परिपत्र जारी किया जाता है, जो इस शर्तों के किसी प्रावधान/खंड के साथ संघर्ष करता है, तो ऐसी अधिसूचना/परिपत्र (या उसके प्रासंगिक भागों) को लागू माना जाएगा, इस तरह के संघर्ष की सीमा तक ऐसे प्रावधान/खंड का स्थान लेगा और पार्टियों के बीच निष्पादित किसी भी और दस्तावेज की आवश्यकता के बिना इस शर्तों में शामिल माना जाएगा।

अनुसूची-। निषिद्ध व्यापारी

निषिद्ध व्यापारी इस प्रकार हैं:

क. व्यापारी श्रेणियों का बहिष्करण जिन्हें केंद्र या राज्य के कानूनों और विनियमों के तहत प्रतिबंधित किया गया है जो लागू हो सकते हैं।

ख. ऐसे व्यवसाय को संचालित करने वाले व्यापारी का बहिष्कार जिसकी नियामक, वैधानिक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं है।

सी. उच्च ब्रांड (या प्रतिष्ठा) जोखिम पैदा करने वाले व्यापारी का बहिष्कार

घ. उन वित्तीय उत्पादों/सेवाओं में काम करने वाले व्यापारी का बहिष्कार जो विनियमित नहीं हैं।

व्यापारी घोषणा करता है और वचन देता है कि वह ट्रांसकॉर्प भुगतान स्वीकृति और ट्रांसकॉर्प सेवाओं के उपयोग के संबंध में कानूनी रूप से अपना व्यवसाय संचालित करेगा। यह देश के कानूनों के अनुसार अपना व्यवसाय करने और उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए आवश्यक सभी लागू लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियाँ सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।